मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना

शुरुआत : 12 जनवरी 2026 [राज्य स्तरीय युवा महोत्सव के अवसर पर]

अवधि : 31 मार्च 2029 तक प्रभावी।

लक्ष्य :

- प्रदेश के **एक लाख** युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करना।
- राज्य के युवाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना।
- युवाओं को सूक्ष्म उद्यमी के रूप में स्थापित करना।

क्रियान्वयन एजेंसी :

- योजना का क्रियान्वयन **जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्रों** के माध्यम से किया जायेगा, जो उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय के अधीन कार्यरत है।
- कार्यालय आयुक्त- उद्योग एवं वाणिज्य, राज्य स्तर पर योजना के क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण हेतु नोडल एजेंसी होगा।

पात्रता :

- राजस्थान का स्थायी निवासी हो।
- आयु सीमा - 18 से 45 वर्ष।
- योजना के अंतर्गत व्यक्तिगत आवेदक के साथ - साथ संस्थागत आवेदक जैसे-HUF/SHG etc भी पात्र होंगे।
- ऐसे आवेदक जो किसी वित्तीय संस्थान/बैंक का डिफ़ॉल्ट / दोषी हो, इसके योजना के पात्र नहीं होंगे।

प्रावधान :

इस योजना में 100% ब्याज अनुदान का पुनर्भरण राजस्थान सरकार करेगी। साथ ही 50,000 रुपए तक मार्जिन मनी एवं CGTMSE [सूक्ष्म और लघु उद्योग क्रेडिट गारंटी फण्ड ट्रस्ट] शुल्क के पुनर्भरण का भी प्रावधान किया गया है। ऋण निम्न प्रकार उपलब्ध कराया जायेगा -

1. 8वीं - 12वीं कक्षा पास आवेदक को -

- सेवा एवं व्यापर क्षेत्र में - 3.5 लाख रुपए का अधिकतम ऋण।
- विनिर्माण क्षेत्र में - 7.5 लाख रुपए का अधिकतम ऋण।
- उक्त ऋण पर लोन राशि के 10% अधिकतम 35,000/- रुपए तक की मार्जिन मनी सहायता।

2. स्नातक/ITI या इससे अधिक योग्यता वाले आवेदक :

- सेवा एवं व्यापर क्षेत्र में - 5 लाख रुपए का अधिकतम ऋण।
- विनिर्माण क्षेत्र में - 10 लाख रुपए का अधिकतम ऋण।
- उक्त ऋण पर लोन राशि के 10% अधिकतम 50,000/- रुपए तक की मार्जिन मनी सहायता।

3. प्रदत्त ऋण की अधिकतम अवधि 5 वर्ष होगी।

4. लाभार्थी RSLDC के शार्ट टर्म स्किल कोर्स में निःशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे।

RAJASTHAN CURRENT AFFAIRS www.rajasthancurrentaffairs.in